प्रेस विज्ञप्ति

यूनियन कार्बाइड संक्रमित क्षेत्र अभी भी भोपालवासियों के लिए एक खतरा है। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) ने पूरे देश के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके इस क्षेत्र को साफ करने के लिए कार्य योजना तैयार की है।

खास बातें

1- यूनियन कार्बाइड द्वारा प्लांट के आस-पास डाले गए कचरे से मिट्टी और भू-जल दोनों संक्रमित हो गए हैं। इसके आस-पास रहने वाले लोगों की सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

2- -सीएसई अब तक इस मसले पर काम कर चुके सभी लोगों, संस्थाओं और उनके अध्ययन को एक साथ लेकर आई है ताकि इस मसले का उचित समाधान किया जा सके ।

3- -विशेषज्ञों के एक समूह का मानना है कि क्षेत्र के भीतर एक छोटी सी जगह पर करीब 350 टन कचरा डाला गया है। यहां की मिट्टी और भू-जल को संक्रमण से मुक्त करने की राह में यह एक सबसे बड़ी बाधा है।

भोपाल। तीन दशक पहले बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री अभी भी राजधानीवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर और बाहर पड़े कचरे को लेकर अब तक जो अध्ययन किया गया है, उसमें एक ही बात निकलकर सामने आई है, कि यहां भारी मात्रा में संक्रमित मिट्टी और भू-जल है।

दिल्ली स्थिति सेंटर फॉर सांइस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) ने इस दिशा में पहल करते हुए इस कचरे को लेकर अब तक हुए सारे अध्ययन और उनके निष्कर्षों का जो विश्लेषण किया है। उसमें यूनियन कार्बाइड हादसे के बाद कोई संस्था पहली बार इस तरह का काम करने जा रही है। वह इन सभी अध्ययन रिपोर्ट के अहम बिंदू मीडिया के साथ बांटने जा रही है। उसने इस क्षेत्र को कचड़ा मुक्त बनाने के लिए एक वृहद कार्ययोजना भी पेश की है।

1969 से 1984 के बीच यूनियन कार्बाइड यहां पर कार्बामेट पेस्टिसाइट और आर्गेनोक्लोरिन फार्म्यूलेशन का उत्पादन करती थी। इतने सालों तक इनके उत्पादन के दौरान निकलने वाले वेस्ट को प्लांट के भीतर और बाहर सोलर इवोपोरेशन पांड (एसईपी) में डाला जाता रहा है। 1984 में प्लांट के बंद होने के बाद यह जहरीला कचड़ा प्लांट और एसईपी में ही छोड़ दिया गया।

सीएसई की डिप्टी डॉयरेक्टर जनरल चंद्रभूषण ने बताया, कि प्लांट बंद होने के बाद सालों से पड़े इस कचरे से वहां की मिट्टी और भू-जल संक्रमित होने लगा। आस-पास रहने वाले लोगों की सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। चंद्रभूषण सीएसई की एक लैब के प्रमुख भी हैं, जिसने यूनियन कार्बाइड के वेस्ट पर खुद भी एक अध्ययन किया है।

सीएसई ने अपनी रिपोर्ट में पिछले 20 सालों में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर हुए 15 अध्ययन रिपोर्ट को शामिल किया है। ये 'यादातर अध्ययन कई गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों ने किया है। इनमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी), काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआईआर) जैसे नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई), नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ के मिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईआईटीआर) हैं।

फूड सेफ्टी और टॉक्सिन कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर अमित खुराना ने बताया, कि इन अधिकतर अध्ययनों से एक बात बिलकुल साफ है कि जहरीले कचरे का दायरा घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई अध्ययन में यूनियन कार्बाइड क्षेत्र और इसके बाहर मिले कचरे के बारे में एक सी बातें कही गई है। इसी तरह ये अध्ययन भू-जल संक्र मित होने की भी पुष्टि करती हैं।

नई दिल्ली में 25-26 अप्रैल को सीएसई ने इस मसले से जुड़ी सभी लोगों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में यहां मिट्टी और भू-जल को कचरे से मुक्त करने और वहां पड़े जहरीले कचरे को समाप्त करने, प्लांट की मशीनरी और पूरे क्षेत्र के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। चंद्रभूषण ने बताया कि, यह अपने तरह की पहली बैठक थी, जिसमें इस मसले से जुड़े सभी पक्षों ने पूरी सक्रियता दिखाई।

दो दिन तक चली इस बैठक में एनईईआरआई, आईआईटीआर, आईआईसीटी, एनजीआरआई, आईआईटी बांबे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इनके साथ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस मामले के विशेषज्ञ और भोपाल के कुछ संगठन शामिल हुए। इन विशेषज्ञों ने माना एक छोटी जगह पर पड़ा 350 टन का कचड़ा तो इस पूरे प्लांट में मौजूद कचड़े का एक मामूली हिस्सा भर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो मिट्टी और भू-जल को संक्रमण को मुक्त बनाना है।

एक्शन प्लॉन

बैठक में शामिल विशेषज्ञों ने यूनियन कार्बाइड क्षेत्र को जहरीले कचरे से मुक्त करने के लिए कई सुझाव दिए। इन सभी उपायों पर एक समयावधि तय करके अमल में लाना जरूरी होगा। इन सभी उपायों को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में उन उपायों को शामिल किया गया है, जिन पर तुरंत कार्य किया जाना है। दूसरे चरण में मध्य और लंबी अवधि के उपाय बताए गए हैं।

वे उपाय जिन पर तत्काल अमल करना है.....

क- पूरी क्षेत्र और सोलर पाण्ड को अधिग्रहण करके उसके चारों ओर तार की बागड़ लगाई जाए ताकि लोग खासतौर पर बच्चे इस क्षेत्र में न आ सके । सोलर पाण्ड क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही ये उपाय हों कि बरसात के दौरान बरसने वाला पानी यहां जमीन के भीतर न जा पाए।

ख- क्षेत्र में जमा सारे कचड़े को बाहर निकाला जाए। इस कचड़े में मौजूद रसायनों को उनकी प्रकृति के अनुसार ट्रीट और नष्ट किया जाए।

ग- वहां एक छोटी सी जगह में पड़े 350 टन के कचरे की पहचान करके लोगों को बताया जाए कि उसमें कौन-कौन से जहरीले रसायन मिले हुए हैं। पीथमपुर में कचड़े को नष्ट करने के काम के नतीजों के आधार पर इस कचड़े को भी नष्ट किया जाए। यह काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर किसी अन्य संबंधित एजेंसी के निर्देश में होना चाहिए।

मध्य और लंबी अवधि के उपाय.....

क-भू-जल पर जहरीले रसायनों के असर को जानने के लिए एक वृहद अध्ययन और प्रयोगशाला परीक्षण किया जाए। इसी के आधार पर इसे संक्रमण मुक्त करने के उपाय तलाशे जाएं।

ख- सोलर पाण्ड क्षेत्र में पड़े जहरीले रसायनों की पहचान करके क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के उपाय तलाशे जाएं। खासतौर पर इस गड्ढे को मिट्टी डालकर बंद कर देना चाहिए ताकि ये जहरीले रसायन भू-जल को प्रदूषित न करें।

ग- वेंट, वेंट स्क्रबर, स्टोरेज टैंक और कंट्रोल रूप समेत पूरे एमआईसी प्लांट को संरक्षित करके पूरे प्लांट को जहरीले रसायनों से मुक्त करने के प्रयास होने चाहिए।

घ -जहरीले रसायनों से मुक्त करने के बाद इस पूरी बिल्डिंग को एक मेमोरियल और सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर इंडस्ट्रीयल डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की जा सकती है।

सीएसई के चंद्रभूषण ने बताया, कि इस पूरी कार्य योजना पर अमल किया जा सकता है। इसे विशेषज्ञ समूह की सहायता से तैयार किया गया है। उन्होंने मप्र सरकार से आग्रह किया कि वह लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर तत्काल अमल करें। साथ ही वे इस बात का ध्यान रखें कि नौकरशाह के कारण इसमें कोई विलंब न हो।

(देखें पूरी रिपोर्ट और एक्शन प्लान)

क- अधिक जानकारी के लिए आप सुपर्णो बैनजी से संपर्क कर सकते हैं। souparno@cseindia.org / 09910864339.

ख- भोपाल प्रकरण की अधिक जानकारी कके लिए हमारी साइट www.cseindia.org पर लॉग इन करें।